



उत्तर प्रदेश शासन

उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

जिला
तहसील
आवेदन क्र०
प्रमाणपत्र क्र०

देवरिया
देवरिया
221900030088077
601223025733


जारी दिनांक: 27/06/2022

प्रमाणित किया जाता है कि
पुत्र/पुत्री
माता का नाम
निवासी
ग्राम
तहसील
जिला

रितिक चौरसिया/Ritik Chaurasia
सूर्यभान चौरसिया
रीता देवी
,शाहपुर पुरैनी पोस्ट- बघड़ा महुआरी
शाहपुर पुरैनी
देवरिया
देवरिया



उत्तर प्रदेश राज्य की बुरई जाति के व्यक्ति हैं। यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुमूचित जातियों, अनुमूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम १९९४ की अनुसूची गक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।
यह भी प्रमाणित किया जाता है कि रितिक चौरसिया/Ritik Chaurasia पूर्वोक्त अधिनियम १९९४ (यथा संशोधित) की अनुसूची २ (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) अनुमूचित जातियों, अनुमूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००१ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ०प्र० लोक सेवा अनुमूचित जातियों, अनुमूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००२ एवं शासनादेश संख्या 22/16/92 टी० सी०-III, दिनांक २० अक्टूबर २००८ द्वारा संशोधित की गई है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता-पिता की निरन्तर तीन वर्षों की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पाम धन कर अधिनियम १९५७ में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति नहीं है।



जारी कर्ता केन्द्र: संजय, सीएससी गवर्नेंस जन सेवा केंद्र
पद: संजय, केन्द्र प्रमारी
स्थान: 22, Deoria (MB) - Ward
No. 22, देवरिया, देवरिया, देवरिया
दिनांक: 13/07/2022
हस्ताक्षर एवं मुहर

ANAND
KUMAR
NAYAK

Digitally Signed by
ANAND KUMAR NAYAK
O=PERSONAL, S=Uttar
Pradesh

सक्षम अधिकारी/तहसीलदार
डिजिटल हस्ताक्षरित
देवरिया, देवरिया
दिनांक: 27/06/2022

यह प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिस्टम द्वारा तैयार किया गया है तथा डिजिटल सिग्नेचर से हस्ताक्षरित है। सम्बन्धित केन्द्र के अधिकृत कर्मी द्वारा प्रमाणित किया गया है। यह प्रमाण पत्र वेबसाइट <http://edistrict.up.gov.in> पर इसका पहले आवेदन क्र० फिर प्रमाणपत्र क्र० अंकित कर, सत्यापित किया जा सकता है।